

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अन्तरिक्ष विभाग

भारत सरकार

अन्तरिक्ष भवन

न्यू बी ई एल रोड, बेंगलूर - 560 231, भारत

दूरभाष : +91 80 2341 5474

फैक्स :



Indian Space Research Organisation

Department of Space

Government of India

Antariksh Bhavan

New BEL Road, Bangalore - 560 231, India

Telephone : +91 80 2341 5474

Fax :

सं./No.मु.:प्रशा:ए/Q:ADMN:A.20(4)-1

4 अक्टूबर/October, 2017

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय/Subject: प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती – दिशानिर्देशों के बारे में/Transfer and posting of Officers in Administrative areas – guidelines – regarding.

इसरो मु. के दिनांक 30/12/2013 के का.ज्ञा. सं. मु:प्रशा:ए.20(4)-1 के पैरा 3.4 के अनुसार, (i) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; (ii) वित्त एवं लेखा; (iii) क्रय एवं भंडार; (iv) हिंदी; एवं (v) कैंटरिंग, जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों के अधिकारी, जो अपनी पदोन्नति या अन्य वजह से विभिन्न शहरों में स्थित इसरो के केंद्रों/यूनिटों में तैनात हैं, स्पष्ट रिक्ति के प्रति एक वर्ष (छुट्टी की अवधि को निकालकर) की आवश्यक सेवा पूरा करने पर या उसी शहर में पदोन्नत या तैनात सबसे कनिष्ठ अधिकारी को स्थानांतरित करने पर मनपसंद शहर में स्थानांतरण हेतु विचार किए जाने के लिए योग्य हैं।

As per para 3.4 of ISRO HQ OM No.HQ:ADMN:A.20(4)-1 dated 30/12/2013, Officers in the Administrative areas such as (i) Personnel & General Administration; (ii) Finance & Accounts; (iii) Purchase & Stores; (iv) Hindi; and (v) Catering, posted to the ISRO Centres/Units in a different city on their promotion or otherwise are eligible for consideration for transfer to preferred city, on completion of the required service of one year (excluding leave period), against clear vacancy or by transferring the junior-most who was promoted and posted in the same city.

2. इसरो मु. के दिनांक 30/12/2013 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 26/12/2012 के का.ज्ञा.सं. मु.:प्रशा:ए:20(4)-1 के पैरा 5 के अनुसार, अपनी पसंद की तैनाती को शामिल करते हुए पदोन्नति की स्वीकृति के समय कोई अधिकारी प्राथमिकता के क्रम में अधिकतम तीन शहरों का विकल्प दर्शाता है, जिस पर वर्तमान तैनाती के स्थान पर एक वर्ष की सेवा पूरा करने पर तैनाती हेतु विचार किया जा सकता है। दिए गए शहर में किसी केंद्र/यूनिट में तैनाती की प्राथमिकता पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे विकल्पों में प्राथमिकता के रूप में मात्र शहर पर ही ध्यान दिया जाएगा।

As per para 5 of ISRO HQ OM No.HQ:ADMN:A.20(4)-1 dated 26/12/2012, read with OM dated 30/12/2013, an Officer at the time of acceptance of promotion, including posting, at his/her choice indicate a maximum of three choices of city(ies) in the order of preference to which he/she may be considered for posting on completion of one year service in the present place of posting. Preference of posting to any Centre/Unit in a given city will not be entertained and in such choices only the city will be taken into account as preference.

जारी/Cont'd.....02/-

3. हाल ही में, इसरो मु. में किसी विशेष केंद्र/यूनिट या दिए गए शहर में कुछ केंद्रों/यूनिटों को छोड़कर स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। सशर्त स्थानांतरण हेतु ऐसे अनुरोध प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के खिलाफ हैं।

Of late, ISRO HQ has been receiving requests from Officers in Administrative areas for transfer to a particular Centre/Unit, or barring certain Centres/Units in a given city. Such requests for conditional transfer are against the prescribed guidelines for transfer and posting of Officers in Administrative areas.

4. अतः पुनः दोहराया जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण लेते समय अधिकारी केवल शहर की प्राथमिकता ही दर्शाएं और दिए गए शहर में किसी विशेष केंद्र/यूनिट या किसी केंद्र/यूनिट को छोड़कर तैनाती हेतु सशर्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, स्थानांतरण अनुरोध अमान्य होगा।

Therefore, it is reiterated that, the Officers while seeking transfer from one city to another, shall only indicate the preference of city and conditional requests for posting to any particular Centre/Unit or barring a Centre/Unit, in a given city, will not be entertained. In such case, the transfer request will be treated as null and void.

5. वे अधिकारी, जिन्होंने पहले से ही किसी शहर में किसी विशेष केंद्र/यूनिट या किसी केंद्र/यूनिट को छोड़कर तैनाती की प्राथमिकता दर्शाते हुए स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया है, वे पुनः स्थानांतरण अनुरोध कर उसे इसरो मु. भेज सकते हैं।

Those officers, who had already requested for transfer specifying preference of posting to a particular Centre/Unit or barring a particular Centre/Unit in a given city, may now exercise a fresh transfer request and forward the same to ISRO HQ.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.



(बी. अनिल कुमार/B. Anil Kumar)

व. प्रधान, का. एवं सा.प्र./Sr. Head, P & GA

सेवा में/To

मानक वितरण (मानक वितरण सूची के अनुसार)/

Standard distribution (as per standard distribution list)



HQ:ADMN:A.20(2)

October 17, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer and posting of Officers in administrative areas – revised guidelines for transfer and posting of Officers appointed through direct recruitment - regarding.

The transfer and posting of Officers in administrative areas are regulated as per the guidelines issued vide ISRO OM No.HQ:ADMN:A.20(4)-1 dated 26/12/2012 read with OM dated 30/12/2013. .

2. Officers in administrative areas are sourced through both internal promotion as well as direct recruitment from open market. Employees working in DOS/ISRO establishments, who fulfill the eligibility criteria for direct recruitment, are also being inducted through competitive selection alongwith outside candidates. The existing transfer policy for Officers in administrative areas does not specifically distinguish between internal employees promoted to the grade through internal DPC process vis-à-vis appointed through direct recruitment from open market and Officers under both the categories are considered for transfer to the preferred city after completion of net one year service, subject to availability of vacancy etc.

3. The various issues involved in the existing guidelines on transfer and posting of Officers in administrative areas recruited directly from the open market, as well as internal candidates selected against direct recruitment quota was discussed in the 104th meeting of ISRO Council held on 19.05.2016. Accordingly, in partial modification to ISRO HQ OM dated 26/12/2012 and 30/12/2013, the guidelines for transfers and posting of Officers in administrative areas appointed through direct recruitment are modified to the extent as under:-

3.1 All personnel recruited to the post with Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (pre-revised)/Level 10 in Pay Matrix under direct recruitment quota in the areas of (i) Personnel & General Administration; (ii) Finance & Accounts; and (iii) Purchase & Stores, sourced from

external market shall henceforth be eligible to be considered for request transfer only on completion of net three years of service (after excluding period(s) of leave, other than Casual Leave and Special Casual Leave in lieu of restricted holidays) in the original place of posting.

- 3.2 All employees working in DOS/ISRO establishments and recruited to the post of Officer in Grade Pay Rs.5400 in PB-3 (pre-revised)/Level 10 in Pay Matrix under direct recruitment quota in the areas of (i) Personnel & General Administration; (ii) Finance & Accounts; and (iii) Purchase & Stores, through competitive selection shall be eligible to be considered for request transfer only on completion of net one year of service (after excluding period(s) of leave, other than Casual Leave and Special Casual Leave in lieu of restricted holidays) in the original place of posting.

4. The above revised guidelines shall be effective for transfers and posting of all Officers in the areas of (i) Personnel & General Administration; (ii) Finance & Accounts; and (iii) Purchase & Stores, from the date of issue of this OM. The transfers and posting of direct recruitee Officers which are already processed and orders issued shall not be disturbed.

5. Hindi version is enclosed.


(S Kumaraswamy)
Joint Secretary, DOS/
Member (Personnel), ISRO Council

To:

All concerned (As per standard distribution list)



मु:प्रशा:ए:20(2)

17 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती - सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती हेतु संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में।

प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती इसरो मु. के दिनांक 30/12/2013 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 26/12/2012 के का.ज्ञा.सं. मु.:प्रशा:ए:20(4)-1 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित हैं।

2. प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारी आंतरिक रूप से तथा खुली सीधी भर्ती के माध्यम से लिए जाते हैं। अं.वि./इसरो के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी, जो सीधी भर्ती हेतु मानदंड पूरा करते हैं, वे भी बाहरी अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक चयन के जरिए भर्ती किए जाते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारियों के लिए वर्तमान स्थानांतरण नीति में, आंतरिक विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के जरिए पदोन्नत आंतरिक कर्मचारियों तथा खुली सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता है और रिक्ति की उपलब्धता, आदि पर, पूरे एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के उनके प्राथमिकता वाले शहर में स्थानांतरण पर विचार किया जाता है।

3. 19.05.2016 को आयोजित इसरो परिषद् की 104वीं बैठक में प्रशासन के क्षेत्र में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी तथा सीधी भर्ती के कोटा में चयन किए गए आंतरिक अभ्यर्थियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के वर्तमान दिशानिर्देशों में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। तदनुसार, इसरो के दिनांक 26.12.2012 एवं 30.12.2013 के का.ज्ञा. के आंशिक संशोधन में, प्रशासन के क्षेत्र में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन किए जाते हैं:-

3.1 (i) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; (ii) वित्त एवं लेखा; और (iii) क्रय एवं भंडार के क्षेत्रों में बाह्य स्रोत से वेतन बैंड-3 में 5400रु. के श्रेणी वेतन (पूर्व-संशोधित)/वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 के पद पर सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में, आगे से, तैनाती के मूल स्थान पर उनके कुल तीन वर्षों (आकस्मिक छुट्टी एवं प्रतिबंधित छुट्टी के एवज में विशेष आकस्मिक छुट्टी के सिवाय अन्य प्रकार की छुट्टी की अवधि को निकालते हुए) की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण के अनुरोध की पात्रता पर विचार किया जाएगा।

3.2 अं.वि./इसरो में कार्यरत ऐसे सभी कार्मिक जो प्रतिस्पर्धात्मक चयन के जरिए सीधी भर्ती कोटा में (i) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; (ii) वित्त एवं लेखा; और (iii) क्रय एवं भंडार के क्षेत्रों में वेतन बैंड-3 में 5400रु. के श्रेणी वेतन (पूर्व-संशोधित)/वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 में अधिकारी के पद पर भर्ती किए गए हैं, के संबंध में, तैनाती के मूल स्थान पर उनके कुल एक वर्ष (आकस्मिक छुट्टी एवं प्रतिबंधित छुट्टी के एवज में विशेष आकस्मिक छुट्टी के सिवाय अन्य प्रकार की छुट्टी की अवधि को निकालते हुए) की सेवा पूर्ण करने पर उनके स्थानांतरण के अनुरोध की पात्रता पर विचार किया जाएगा।

4. (i) कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; (ii) वित्त एवं लेखा; और (iii) क्रय एवं भंडार के क्षेत्रों में सभी अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के लिए उपरोक्त संशोधित दिशानिर्देश इस का.ज्ञा. के जारी करने के दिनांक से प्रभावी होंगे। ऐसे सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनातियाँ, जिनके संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं, में हस्ताक्षेप नहीं किया जाएगा।

कुमारास्वामी
(एस. कुमारास्वामी) 17/10/16
संयुक्त सचिव, अं.वि./
सदस्य (कार्मिक), इसरो परिषद

सेवा में,

सभी संबंधित (मानक वितरण सूची के अनुसार)



No.HQ:ADMN:A.20(4)-1


October 20, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Transfer and posting of Officers in Administrative areas – Relaxation to Personnel with disabilities.

The various issues involved in the existing guidelines on transfer and posting of Officers in Administrative areas were discussed in 101st ISRO Council meeting held on 21.04.2015, and it was decided to extend relaxation to personnel with disabilities from the extant transfer policy. The same has been conveyed by DOS vide letter No.A.24012/4/2015-I dated 16.10.2015. Accordingly, in partial modification to ISRO HQ OM No.HQ:ADMN:A.20(4)-1 dated 26.12.2012 and 30.12.2013, the guidelines for transfer and posting of Officers in Administrative Areas are modified to the extent as under :-

- (a) As and when a personnel with disabilities is considered for promotion and posting, preference will be given to him/her for retention in his/her parent Centre/Unit or his/her choice subject to availability of a clear vacancy.
 - (b) If clear vacancy does not exist at the time of posting, the posting will be done as per the existing procedures for personnel with disabilities. Such of those personnel, who have been posted outside their parent Centre/Unit and if such employees request for transfer back to their parent Centre/Unit or his/her choice, such cases shall be considered on out of turn basis to fill up new vacancy(ies) occurring subsequently without insisting for minimum service period of one year (excluding the leaves availed other than Casual Leave and Special Casual Leave).
2. As and when the Department implements rotational transfer for its personnel, the above mentioned conditions will be implemented for rotational transfers also.
 3. All other conditions mentioned in the ISRO HQ OM No.HQ:ADMN:A.20(4)-1 dated 26.12.2012 and 30.12.2013 will remain unaltered.
 4. Hindi version enclosed.


(S Kumaraswamy)
Joint Secretary, DOS/
Member [Pers], ISRO Council

To: All concerned as per standard distribution list

Associate Director, INSES - for uploading in Intranet

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन / Indian Space Research Organisation

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अन्तरिक्ष विभाग

भारत सरकार

अन्तरिक्ष भवन

न्यू बी ई एल रोड, बेंगलूर - 560 231, भारत

दूरभाष : +91 80 2341 5474

फैक्स :

सं. मु:प्रशा:ए:20(4)-1



Indian Space Research Organisation

Department of Space

Government of India

Antariksh Bhavan

New BEL Road, Bangalore - 560 231, India

Telephone : +91 80 2341 5474

Fax :

20 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती - विकलांग कार्मिकों को छूट के बारे में।

प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती पर मौजूदा दिशानिर्देशों में शामिल विभिन्न मुद्दों पर 21.04.2015 को आयोजित 101वीं इसरो परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी और वर्तमान स्थानांतरण नीति से विकलांग कार्मिकों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अं.वि. द्वारा दिनांक 16.10.2015 के पत्र सं. ए.24012/4/2015-1 द्वारा सूचित कर दिया गया है। तदनुसार, इसरो मुख्या. के दिनांक 20.12.2012 एवं 30.12.2013 के का.ज्ञा. सं. मु:प्रशा:ए:20(4)-1 के आंशिक संशोधन में, प्रशासनिक क्षेत्रों में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती हेतु दिशानिर्देश निम्नांकित रूप से संशोधित किए जाते हैं:-

(क) जब कभी विकलांग कार्मिकों की पदोन्नति एवं तैनाती पर विचार किया जाएगा तो उसे निश्चित रिक्ति की उपलब्धता की शर्त पर उसके प्रथम नियुक्ति वाले केंद्र/यूनिट में रखने या उसकी पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) यदि तैनाती के समय निश्चित रिक्ति नहीं है तो विकलांग कार्मिकों की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार तैनाती की जाएगी। ऐसे कार्मिक जो अपने प्रथम नियुक्ति वाले केंद्र/यूनिट से बाहर तैनात किए गए हैं और यदि ऐसे कार्मिक अपने प्रथम नियुक्ति वाले केंद्र/यूनिट में या अपनी पसंद के केंद्र/यूनिट में वापस स्थानांतरण का अनुरोध करते हैं तो ऐसे मामलों पर एक वर्ष की कम-से-कम सेवा (अन्य छुट्टियों के अलावा लिया गया आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़ते हुए) पर जोर न देते हुए तदोपरांत आयी नई रिक्ति(यों) को भरने हेतु बिन-बारी विचार किया जाएगा।

2. जब कभी भी विभाग अपने कार्मिकों हेतु बारी-बारी से स्थानांतरण क्रियान्वित करता है तो उपरोक्त शर्तें बारी-बारी से किए गए स्थानांतरण के लिए भी लागू की जाएंगी।

3. इसरो मुख्यालय के दिनांक 26.12.2012 और 30.12.2013 के का.ज्ञा. सं. मु:प्रशा:ए:20(4)-1 में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कुमारास्वामी
(एस. कुमारास्वामी) 20/10/15

संयुक्त सचिव, अं.वि./

सदस्य (कार्मिक), इसरो परिषद

सेवा में:- मानक वितरण सूची के अनुसार

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन / Indian Space Research Organisation